



२८१

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १०३ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
संदर्भ में,

दिनांक : १० अगरत २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (हुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सिटीयों तथा मलिन वर्सिटीयों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी धेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सिटीयों तथा मलिन वर्सिटीयों में हृष्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुरक्षाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अद्वयत कर दी गई है-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
एंडिस्ट बैंक	914010005805018	IFSC Code UTIB0000355	516.953
(घनराशि लाख रु० में)			

क्र. सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किलू की घनराशि का प्रेषण
1	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	अग्रप बिहार रस्तम बिहार में हल्लीम मार्केट से रामकुमार भारती, विजय यादव, पप्पू के घर होते हुये कल्लू भास्तर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.476
2	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची वस्ती में अर्जुन के घर से प्यारे लाल, कुन्द्र के घर होते हुये कल्लू के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	24.089
3	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची वस्ती में सूरज के घर से बन्द्र प्रकाश के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.563
4	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची वस्ती में राजू के घर से प्रताप के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.563
5	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत गोपालपुरी (अम्बेडकर नगर) में कच्ची वस्ती में अगिल के घर से रामू, पप्पू के घर तक नाली नाले का कार्य।	21.477
6	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत राकेशपुरी में आजाद नगर रोड से दीनू के घर होते हुये रहमान के घर तक गलियों में नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.557
7	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत राकेशपुरी हरिहरनाथ तुलसी उदान से पी०के० श्रीवास्तव के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6.326
8	लखनऊ	मलिन वस्ती-८३ बजट	न० नि० लखनऊ	गीतापल्ली वार्ड के अन्तर्गत साकेतपुरी हरिहरनाथ प्रताप भद्रिया के घर से नानू के घर होते हुये प्रताप रिंड के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	11.188



2692

4-24574-2236708-
7/26/18

ନାୟକ ପିଲାମ୍ ପିଲାମ୍ 10 ରହୋଇ ଦାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମନାଥ-୨୨୧୦୫୧

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.



22067119

22887-10

नव योग्य केन्द्र, 10 जहांक मार्ग, अहमदाबाद-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आत्मसंख्यक / मूलिक	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किलोमीटर की घनत्वशुल्क का प्रेषण
24	लखनऊ	आत्मसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किश्त	न०११० लखनऊ	हुये कुलदीप बाधूगाम य रामगनोहर वर्मा के मकान तक नाली, इण्टरलाकिंग का कार्य।	
25	लखनऊ	आत्मसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किश्त	न०११० लखनऊ	वार्ड मल्लाही टोला द्वितीय में भोहल्ला ड्याक-डबाग, झाकडुमण्डी शाह का तकिया में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.740
26	लखनऊ	आत्मसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किश्त	न०११० लखनऊ	खुर्ग नगर गांव, पुरानी बस्ती में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.274
27	लखनऊ	आत्मसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किश्त	न०११० लखनऊ	भीम टोला में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.790
28	लखनऊ	आत्मसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किश्त	न०११० लखनऊ	कल्याणपुर, शंकरपुरवा प्रथम में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.498
29	लखनऊ	आत्मसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किश्त	न०११० ऊमेली	गजरहा पुरवा में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.793
	योग			वार्ड सं० 5 एवं 9 में अन्सारी वार्ड एवं झाँख अब्बारी वार्ड में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	49.236
					516.953

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यव शाडी दोत्रों की अल्पसंख्यक बहुत्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अधिकारी द्वारा किया जाये।

- 1 - उम्प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप हाहरी कान्त्रा का अल्पसंख्यक बाहुदल पारस्पर्य स्थानीय स्तर पर लिया जायेगा। इसके अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत सीधीपी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

2 - स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और उनकी सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेक्स्ट्रप न कर लिया जाये।

3 - प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सदाग स्तर से तकनीकी रसीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4 - अबमुक्तों की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अधिकारी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अग्रिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5 - स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ युग्मता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/विधम एवं धर्मावलीय वास्तविकता के अन्तर्गत योद्दे कोई स्थीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6 - प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्याय वित्तीय हस्तानुसिरा का के सुसंगत प्राप्तिग्राहकों के अन्तर्गत प्रश्नगत परियोजनाओं में सम्मानित कराते हुये किया जाये।

7 - परिसम्पत्तियों के सूचना उपरान्त राम्रा से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तानुसिरि द्वारा दिया जाये ताकि भवियत में राम्रिता द्वारा उपरान्त न होने वाले। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूचना के पूर्व ही स्थानीय निकाय से तदाशय की राम्रति ले ली जाये।

8 - योजनानामूलक अवमुक्ता की जा रही धनराशि का उपयोग नितीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाए तथा उपरोक्ता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिवरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपरोक्ता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिवरण की मही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



28/4

Digitized by srujanika@gmail.com

2326-241

नगर पालिका बोर्ड, १० अशोक मार्ग, वाराणसी-२०८००५

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

प्रतिवर्ष दो हजार २५ लोकों के समाज की विभिन्न शर्तों व विवरों के प्रतिवर्ती के अनुसार नियत नद में यह की आवाही की विवरण दिया गया है। इन लोकों का यह जाये कि वे प्रश्नगत वापलवा अनारण से ही रम्य से गृण हो जायें।

प्रत्येक की एक दृष्टि द्वारा उपरोक्त सभी परियोगों के लिये विद्या चारों जिलों के लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रमुख न होना साधारण हावे का अवसर की गई धनतांश के कल में धनतांश उन्नयन को अवसर की जा सकती है। इसके लिये अधिकारी द्वारा दृष्टि दी जानी होती है ताकि उपरोक्त आँदोलन मुख्यतया न को समाप्त हो।

नवाज द्वारा भरियेंगा मैं चाहेगा प्रथम किस्त के साथें 50 प्रतिशत की घनसांशि अवमुक्त की गयी है जिसका अनुभव रोनेवाले की घनसांशि देक्कनर में घनसांशि अवमुक्त की जा रही है तथा इसीलिये किस्त की घनसांशि 2 लाख रुपये की घनसांशि एवं द्वितीय किस्त में 20 प्रतिशत की घनसांशि रोकबद्दल ऐसे घनसांशि अवमुक्त की जा रही है। इस घनसांशि के साथें नियमानुसार 10% वापरक और सामानिय के लिए दुधे अपनी गैटा प्रमाण पा वाली घनसांशि के साथें गैटिक प्रमाणि राहित नियमित फसल पर सूक्ष्मा अभियर्थ को टीप्पण उपलब्ध कराने का कदम ले रहे हैं तो यही घनसांशि द्वारा अवमुक्त किया जा सके।

3343

ପ୍ରମାଣ
କିମ୍ବା
କିମ୍ବା

१०। विषय-विवरण संक्षेप ।
 १। विषय-विवरण, विलोचन-विशेषज्ञता, विवरण-विवरण, विवरण-विवरण ।
 २। विषय-विवरण-विवरण ।
 ३। विषय-विवरण-विवरण ।

Jan 1
1958